भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2349

गुरूवार, 20 मार्च, 2025 / 29 फाल्गुन, 1946 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ

2349. श्री हरीस बीरन:

श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को लागू करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) देश में गिग श्रमिकों की अनुमानित संख्या कितनी है, साथ ही 2025 तक नई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कितने लोग शामिल किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का गिग श्रमिकों के अधिकारों, कल्याण और कार्य स्थितियों को संबोधित करने के लिए विशिष्ट कानून पेश करने का इरादा है; और

(घ) गिग श्रमिकों के लिए रोजगार सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक लाभों से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

इस संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों के तैयार करने के उपबंध हैं। इस संहिता के अंतर्गत कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का भी प्रावधान है।

जारी..2/-

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तीव्रता से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जो वर्ष 2029-30 तक 23.5 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।

ऑनलाइन प्लेटफार्मों के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, संघ सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को अपनी बजट घोषणा में उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने, उनके पहचान पत्रों की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव रखा।

******